छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 11 नवंबर, 2016

कमांक एफ 9–22/2016/1/5 :: विद्युत के क्षेत्र में नयी तकनीक आने के बाद आज कल L.E.D. बल्ब सर्वाधिक उपयोगी पाये जा रहे है, इनके प्रयोग से बिजली की खपत कम होती है तथा इन बल्बों की लाईफ भी लंबी रहती है। इन बल्बों के उपयोग से मितव्ययता को बढ़ावा मिलेगा। अतएव समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विद्युत खपत में कमी लाने के लिये L.E.D. बल्ब का अनिवार्यतः उपयोग किया जाए। इससे विद्युत की खपत में लगभग 25 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है।

2/ प्रदेश के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में L.E.D. बल्ब का उपयोग आगामी 06 माह के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि नये बनने वाले समस्त भवनों में चाहे वे लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं अन्य विभागों के हो रहे निर्माण के समय ही L.E.D. बल्ब फिक्सचर्स ही लगाये जाये।

उपरोक्त आदेश की कियान्वयन कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित विभागीय सचिव की होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.कमांक एफ 9–22/2016/1/5 नया रायपुर, दिनांक 11 नवंबर, 2016

प्रतिलिपि –

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव(स्वतंत्र प्रभार), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर।
8. समस्त सचिव, निगम/मंडल/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग(छ0ग0)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग